महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन,
ब्लॉक–II, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

☎0771-2331659, email id-nregastatecell@gmail.com

क्रमांक 1085 / वि–7 / MGNREGA / 2020,   नवा रायपुर, दिनांक   / 03 / 2020

प्रति,

1. कलेक्टर, एवं जिला समन्वयक
   समस्त जिला छ.ग.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत समस्त छ.ग.।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यो के सम्पादन संबंध में ।

–000–

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आपके द्वारा पर्याप्त संख्या में अनुमेय कार्यो की स्वीकृति दी गई है ताकि पंजीकृत मजदुरो द्वारा मांग के आधार पर उन्हे तत्काल रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। योजनांतर्गत जनवरी से जून माह के मध्य सर्वाधिक मजदूर नियोजित होते रहे है। पिछले सप्ताह राज्य में प्रतिदिन लगभग 12 लाख से अधिक मजदूर नियोजित थे।

वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संलग्न मार्गदर्शिका अनुरूप समुचित सुरक्षा एवं साधानी के साथ योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। बाहर से आने वाले मजदूर के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 1081 दिनांक 23.03.2020 का भी कड़ाई से पालन किया जाये।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(गौरव द्विवेदी) 23/3/2020.
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.कमांक 1086 वि–7 / MGNREGA / 2020,   नवा रायपुर, दिनांक   / 03 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर।
2. आयुक्त महात्मागांधी नरेगा, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर ।
3. रिकार्ड बुक।

प्रमुख सचिव 23/3/2020.
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

माहात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका

——0——

1. रोजगार सहायक/सचिव, महात्मा गांधी नरेगा के तहत नियोजित श्रमिको को काम की शुरुआत तथा काम के बाद उनके हाथों को साबुन और पानी से धुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे ।
2. कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिए साबुन/ हैंडवॉश और पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाए।
3. जागरूकता अभियान संचालित कर मजदूरो को समझाइस दी जाए कि वे घर पहुचने के बाद भी हाथ धोने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखे।
4. हाथ धुलाई की क्रियान्वयन में स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता ग्राही, SHG की महिलाओं एवं ग्राम के जागरूक नागरिको का सहयोग लिया जा सकता है।
5. श्रमिकों को मास्क के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाए। मास्क की खरीदी खादी ग्राम उद्योग, (विलासा) अथवा स्व सहायता समुहो से किया जावे। ऐसे मास्क क्रय किया जावे जिसे धुलाई पश्चात पुनः उपयोग किया जा सके।
6. प्रत्येक मजदूर के पसीना पोंछने तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए साफ सुथरा पृथक पृथक तौलिया उपलब्ध कराना चाहिए जिसका उपयोग वो स्वतः करे।
7. साबुन/ हैंडवाश की खरीदी योजना के प्राथमिक चिकित्सा मद से व्यय की जा सकती है।
8. कार्य में नियोजित श्रमिकों के यथा आवश्यक दूरी (न्यूनतम 1 मीटर) रखी जाए। कार्यस्थल पर श्रमिकों के अनौपचारिक सामुहिक गतिविधियों को टाला जाना चाहिए।
9. यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो, तो उन्हें निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए।
10. यदि कोई कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आया है, तो उन्हें तुरंत खुद को घर में अकेले रखकर चिकित्सको के सलाह अनुसार रहना चाहिए। ऐसे मजदूरो को कार्य में नियोजित नहीं करना है जिससे संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो।

23/3